

ida

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. 20

दिनांक : 15.01.2025

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 71 सेक्टर-सी एवं डी में आवासीय उपयोग के भूखण्डों को आरक्षित श्रेणी अनुसार भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	विभागीय टेण्डर आय.डी. क्रमांक	भूखण्ड क्रमांक	आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल व.मी.में	न्यूनतम दर प्र.व.मी. में	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	Mponline-15	57-सी (कार्नेर + पार्क के सामने)	सामान्य	135.00	80,000	10.80
2		92-डी पार्क के सामने	सामान्य	90.00	71,500	6.50
3		99-डी	सामान्य	90.00	65,000	5.85
4		102-डी	सामान्य	90.00	65,000	5.85
5		107-डी	सामान्य	90.00	65,000	5.85
6		119-डी	सामान्य	90.00	65,000	5.85

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र कय करने का आरंभ दिनांक एवं समय	20.01.2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	10.02.2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय	13.02.2025	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	14.02.2025	11:30 hrs. Onwards
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	20.02.2025	12:30 hrs.

नोट :-

- निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाईल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही करना होगा।
- आवेदक को अपनी निविदा मय आवश्यक दस्तावेजों के केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगा, भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना है।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये मार्केटिंग सेल (मो. 98936-99113) पर संपर्क करें

एवं प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देखें ।